कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office
पंचदीप भवन,ई.डी.सी.प्लॉट सं.23,पाट्टो,पणजी,गोवा-403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail :rd-goa@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

सं.33.ए.11.11.89.2011-राजभाषा-1-खंड-2 दिनांक: .04.2025

परिपत्र

विषय:- क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यालय गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त।

क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की प्रति सूचना, आवश्यक कार्रवाई तथा कड़े अनुपालन के लिए प्रेषित है।

यह क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

Digitally signed by
Hemant Kumar
Date: 07-04-2025
12:44:08

(हेमंत कुमार)
उप निदेशक(राजभाषा(प्रभारी))

सेवा में

1. क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के सभी अधिकारी/ अधीक्षक/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/
3. शाखाएँ।
4. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय वास्को/ फॉण्डा/ महाप्सा/ मडगांव/ पणजी/ बीचोलिम , गोवा।
5. महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
6. संयुक्त निदेशक(राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्ने को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
7. उप निदेशक(राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई को सूचनार्थ प्रेषित।
8. उप निदेशक(पश्चिम क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नंबर-601-ए, केंद्रीय सदन, सैक्टर-10, छठवा तल, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400614
9. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति व मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, उत्तर गोवा, पाट्टो, आयकर भवन, गोवा, पणजी- 403001
10. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

<u>क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 28.02.2025 को सम्पन्न विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त</u>

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पणजी, गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को आयोजित की गई।

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सर्वप्रथम प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक का तथा बैठक में उपस्थित सभी समिति सदस्यों का अभिवादन किया तथा तदोपरांत उन्होने प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक की अनुमति से बैठक प्रारंभ की।

मद संख्या-1	**पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।**

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा की पिछली बैठक दिनांक 17.10.2024 को आयोजित की गई थी जिसके कार्यवृत्त सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों/ शाखाओं को परिचालित कर दिये गए थे। सभी उपस्थित कार्मिकों ने कार्यवृत्त की प्रति मिलने की पुष्टि की।

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने उपस्थित सभी सदस्यों से कार्यवृत्त संबंधी किसी आपत्ति/ सुझाव के लिए अनुरोध किया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति तथा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या-2	**दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही अवधि से संबंधित हिन्दी प्रगति संबंधी आंकड़ों पर चर्चा।**

श्रीमती विनीता, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा द्वारा 'क' क्षेत्र को कुल 73 पत्र भेजे गए जिनमें से 57 पत्र हिन्दी/ द्विभाषी तथा 16 पत्र केवल अंग्रेज़ी में भेजे गए। इस प्रकार 'क' क्षेत्र के साथ 78.08 % मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया। 'ख' क्षेत्र को इस अवधि के दौरान कोई मूलपत्र नहीं भेजा गया है। 'ग' क्षेत्र को कुल 197 पत्र भेजे गए जिनमें से 125 पत्र हिन्दी/ द्विभाषी तथा 72 पत्र केवल अंग्रेज़ी में भेजे गए। इस प्रकार 'ग' क्षेत्र के साथ 65.10 % मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया। तिमाही के दौरान कुल 2124 पृष्ठ टिप्पणियाँ लिखी गईं जिनमें से हिन्दी में लिखे गए पृष्ठों की संख्या 1683 रही। इसके अतिरिक्त, तिमाही में हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या 221 थी जिनमें से किसी भी प्राप्त पत्र का उत्तर केवल अंग्रेज़ी में नहीं दिया गया। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2024-2025 में 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की।

मद संख्या 3	**राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन**

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए यह बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) से संबन्धित कुल 167 कागजात जारी किए गए। सभी कागजात द्विभाषी/ हिन्दी रूप में जारी किए गए हैं। इस प्रकार कार्यालय में धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक अतिआवश्यक बिन्दु है तथा इसी प्रकार इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना जारी रखा जाए।

मद संख्या 4	**वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चर्चा।**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कहा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए माह अप्रैल से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। उन्होने सभी सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2024-2025 लक्ष्य के संबंध में अवगत कराया।

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम में वर्तमान में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा चुकी है।

उन्होने बताया मार्च, 2025 समाप्ति से पहले हिन्दी संगोष्ठी करने का प्रस्ताव दिया। अध्यक्ष महोदय ने संगोष्ठी करने की व्यवस्था करने के निदेश दिए।

मद संख्या 5	स्थापित जांच बिन्दुओं का अनुपालन

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने जांच बिन्दुओं को सभी के समक्ष पढ़ा। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार तथा मुख्यालय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए जांच बिन्दुओं की प्रति अप्रैल 2024 को सभी शाखाओं/ अधिकारियों / शाखा कार्यालयों को कड़े अनुपालनार्थ परिचालित कर दी गई है।

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2024 में 14-15 सितंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस समारोह तथा राजभाषा सम्मेलन में श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा स्थानीय भाषाओं के संबंध में दिए गए संदेश के संबंध में बताया। उन्होने बताया कि कार्यालय के सभी नामपट्ट, साइनबोर्ड, सूचनापट्ट, कार्यालय के नाम संबंधी बोर्ड आदि त्रिभाषी(गोवा की स्थिति में पहले कोंकणी, फिर हिन्दी तथा उसके बाद अंग्रेज़ी जिसमें कोंकणी तथा हिन्दी के शब्द अंग्रेज़ी शब्दों से बड़े तथा मोटे अक्षरों में हों) किए जाने अपेक्षित हैं।

उन्होने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि यह मामला सामान्य शाखा स्तर पर अभी प्रक्रियाधीन है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने सामान्य शाखा के अधिकारी को इसपर त्वरित कार्रवाई करने के निदेश दिए।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को जांच बिन्दुओं के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का निदेश दिया।

मद संख्या 6	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने समिति को राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी समिति सदस्यों से कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है अतः इसका पूर्णरूपेण अनुपालन अपेक्षित होता है। इस पर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कहा कि आलोच्य तिमाही में हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या 221 थी जिनमें से किसी भी प्राप्त पत्र का उत्तर केवल अंग्रेज़ी में नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष व्यक्त किया तथा निदेश दिया कि भविष्य में भी इसी प्रकार इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मद संख्या 7	शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के अधीनस्थ सभी 6 शाखा कार्यालयों का माह दिसंबर, 2024 में राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। उन्होने बताया कि सभी शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति संतोषजनक है। शाखा कार्यालयों में कुछेक कमियाँ भी पाई गई हैं जिनके संबंध में निरीक्षणों के दौरान सभी शाखा कार्यालय प्रबन्धकों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने शाखा कार्यालयों के प्रबन्धकों/ प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर हिन्दी में ही करने, बैंकों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिन्दी/ द्विभाषी में जारी करने, सभी रबड़ मोहरें नियत भाषा क्रम तथा आकार के अनुसार ही बनवाकर प्रयोग करने, तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर तथा विधिवत भरकर भेजने के निदेश दिए।

मद संख्या 8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय

1. **कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु शेष कार्मिकों का प्रशिक्षण:** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान में हिन्दी भाषा प्रशिक्षण(प्राज्ञ) के लिए 02 कार्मिक शेष हैं। इसपर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रशिक्षण हेतु शेष कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलवाए जाने की व्यवस्था की जाए।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए। सभी सदस्यों ने की गई चर्चाओं तथा लिए गए निर्णयों में अपना समर्थन जताया तथा किसी से कोई अन्य सुझाव या चर्चा हेतु कोई अन्य विषय-बिन्दु प्राप्त नही हुए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा हिन्दी में कार्य करना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक कर्तव्य है। उन्होने यह भी कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय गोवा में राजभाषा संबंधी सभी नियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, यह संतोष की बात है।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

<u>बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों के सूची निम्नानुसार है:-</u>

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम/ पदनाम (सर्वश्री/ श्रीमती/ कुमारी)**	**अध्यक्ष/ सदस्य सचिव/ सदस्य**	**हिन्दी ज्ञान स्तर**	**हिन्दी कार्य का प्रतिशत**
1.	मनीष कुमार, क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी)	अध्यक्ष	प्रवीण	95 %
2.	ज्योति प्रकाश, उप निदेशक	सदस्य	प्रवीण	90%
3.	हेमंत कुमार, उप निदेशक(राजभाषा (प्रभारी))	सदस्य सचिव	कार्यसाधक	80%
4.	विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य	प्रवीण	100%
5.	शिवाजी नारायण पोल, सहायक निदेशक	सदस्य	कार्यसाधक	80%
6.	निखिल, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	80%
7.	भरत मांजरेकर, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	70%
8.	समीर धुरी, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	75%
9.	कांचन नाईक, सा.सु.अधिकारी	सदस्य	कार्यसाधक	75%
10.	पराग वेलकर, सा.सु.अधिकारी	सदस्य	कार्यसाधक	75%
11.	प्रफुल्ल तिवारी, सा.सु.अधिकारी	सदस्य	प्रवीण	90%
12.	प्रसाद सालवी, सा.सु.अधिकारी	सदस्य	प्रवीण	75%
क्षेत्रीय कार्यालय गोवा के अधीनस्थ शाखा कार्यालयों से वर्चुअल रूप से भाग लेने वाले शाखा कार्यालय प्रबन्धक/प्रतिनिधि				
13.	अंकिता साठे, शाखा प्रबन्धक, मपुसा	सदस्य	कार्यसाधक	75%
14.	प्रत्युषा पेंडल्या, शाखा प्रबन्धक, वास्को	सदस्य	कार्यसाधक	80%
15.	प्रसाद भावे, शाखा प्रबन्धक, पोंड़ा/मडगाँव	सदस्य	कार्यसाधक	75%
16.	आनंद कुमार, सहायक	शाखा कार्यालय प्रतिनिधि	प्रवीण	92%